



2026:AHC-LKO:22506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1236/2026

विशाल रावत

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

सिविल सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से और 7 अन्य

... विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अंजनी कुमार श्रीवास्तवविरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. यह वर्तमान आवेदन, लखनऊ के सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 249/2025 (विशाल रावत बनाम रेनू रावत और अन्य) में दिनांक 24.02.2026 को पारित आदेश को, तथा लखनऊ के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीमा शुल्क) द्वारा आपराधिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विविध वाद संख्या 823/2025 में दिनांक 01.04.2025 को पारित आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है; साथ ही इसमें यह भी प्रार्थना की गई है कि संबंधित विरोधी पक्षों को निर्देश दिया जाए कि वे विरोधी पक्ष संख्या 4 से 8 के विरुद्ध उचित धाराओं के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करें।

2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष संख्या 4 से 8 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर वे इस मामले से पीड़ित नहीं हैं।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक फतेहगंज, मोहन रोड, पुलिस थाना पारा, जिला लखनऊ का निवासी है; वह कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और उसकी आजीविका कृषि संसाधनों पर निर्भर है। आवेदक के दादा, जिनका नाम दुलारे पुत्र भूप था, खसरा संख्या 110 क्षेत्रफल 0.5290 हेक्टेयर के काश्तकार थे, जिनके पास हस्तांतरणीय अधिकार थे; यह भूमि ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आवेदक के पिता की मृत्यु आवेदक के दादा के जीवित रहते ही हो गई थी; आवेदक ने, अपने दादा का पोता होने के नाते, अपनी माँ के साथ मिलकर दुलारे की देखभाल की थी। अतः, उनकी मृत्यु के उपरांत, विवादित भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज कर दी गई। आवेदक के दादा ने अपने जीवनकाल में, दिनांक 11.12.2007 को, अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में आवेदक के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा भी निष्पादित किया था। उनकी मृत्यु दिनांक 05.02.2016 को हुई।

4. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक के दादा की मृत्यु के बाद, संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित आदेश के माध्यम से आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। हालाँकि, अचानक दिनांक 23.06.2024 को सुबह लगभग 9.30 बजे, जब आवेदक अपने खेत पर गया, तो विरोधी संख्या 4, रेनू रावत जो कथित तौर पर एक भूमि माफिया है और जगदीश रावत की पुत्री है अपने साथ 10-12 अन्य पुरुषों और महिलाओं को लेकर उक्त स्थान पर आवेदक की भूमि पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से पहुँची और वहाँ "रेनू रावत, अध्यक्ष" के नाम से एक बोर्ड लगा दिया। जब आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने इस कृत्य का विरोध किया, तो उन्होंने आवेदक और उसके परिवार वालों को गालियाँ देना शुरू कर दिया और साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियाँ भी दीं। यह आरोप है कि रेनू रावत एक भूमि माफिया और अपराधिक इतिहास वाली व्यक्ति हैं; उसका मुख्य धंधा लखनऊ स्थित केंद्रीय अभिलेखागार के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके, जाली और मनगढ़ंत विक्रय विलेख तैयार कर निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्ज़ा करना है।

5. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक की संपत्ति पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से, रेनू रावत ने लखनऊ स्थित केंद्रीय अभिलेखागार के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके दिनांक 30.12.1988 का एक जाली और मनगढ़ंत विक्रय-विलेख तैयार किया है। इस दस्तावेज़ में कथित तौर पर यह दर्शाया गया है कि आवेदक के दादा दुलारे ने, अपने संरक्षक बुधई के माध्यम से, यह भूमि राम नरेश के पक्ष में बेची थी; इसमें राम चंद्र और सत्य वीर यादव को सीमांत साक्षियों के रूप में दर्शाया गया है। यह भी दावा किया गया

है कि उक्त दस्तावेज़ दिनांक 05.03.1989 को लखनऊ स्थित उप-निबंधक कार्यालय में पंजीकृत किया गया था, जिसका उल्लेख पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 581, पृष्ठ संख्या 305 से 306 पर क्रम संख्या 1015 के अंतर्गत किया गया है। उक्त कथित विक्रय-विलेख में, राम नरेश का स्थायी पता ग्राम कथिंगरा, थाना काकोरी, ज़िला लखनऊ दर्शाया गया है; जबकि, कथित विक्रय-विलेख के निष्पादन के समय, वह वास्तव में स्थायी रूप से ग्राम घुरामऊ, तहसील हसनगंज, ज़िला उन्नाव में निवास कर रहा था। इसके अलावा, राम नरेश को नाबालिग दिखाया गया था, जबकि परिवार रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि 15.03.1963 दर्ज थी; इसका अर्थ यह है कि कथित विक्रय-विलेख के पंजीकरण के समय, उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। ऐसा कहा जाता है कि राम नरेश, पुत्र बुधई ने दिनांक 10.06.2010 को एक पंजीकृत विक्रय-विलेख के माध्यम से अपनी भूमि श्रीमती फूल मती, पत्नी ननकाऊ प्रसाद के पक्ष में हस्तांतरित कर दी थी। इस दस्तावेज़ में राम नरेश ने अपना स्थायी पता ग्राम घुरामऊ, परगना मोहन, तहसील हसनगंज, ज़िला उन्नाव के रूप में दर्शाया था। यह तथ्य स्वयं ही में यह सिद्ध करता है कि कथित विक्रय-विलेख के समय, राम नरेश ग्राम घुरामऊ, उन्नाव में निवास कर रहे थे, न कि ग्राम कथिंगरा, लखनऊ में। एक अन्य प्रासंगिक तथ्य यह है कि राम चंद्र, जो पहले सीमांत साक्षी थे, की मृत्यु कथित विक्रय-विलेख के निष्पादन से बहुत पहले ही हो चुकी थी; जबकि सत्य वीर यादव, जो दूसरे सीमांत साक्षी थे, को ग्राम हाफ़िज़ खेड़ा, मजरा कसमंडीकलां, परगना एवं तहसील मलिहाबाद, लखनऊ का स्थायी निवासी दर्शाया गया था। तथापि, पन्ना लाल, सदस्य ज़िला पंचायत, लखनऊ द्वारा दिनांक 01.10.2024 को जारी किए गए प्रमाण पत्र में यह

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सत्य वीर यादव, पुत्र राम शंकर यादव, उपर्युक्त ग्राम के निवासी नहीं थे।

6. आवेदक ने उपर्युक्त कथित विक्रय-विलेख की सत्यता जानने के लिए, दिनांक 17.08.2024 को उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दिया। दिनांक 05.09.2024 को वह आवेदन यह टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि चूंकि प्रश्नगत खण्ड (ज़िल्द) पुराना है, इसलिए उसके पृष्ठ क्रम से नहीं मिले; और यदि भविष्य में वे मिल जाते हैं, तो उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद, आवेदक ने दिनांक 06.09.2024 को संबंधित पुलिस स्टेशन और पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। जब संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो दिनांक 13.09.2024 को आवेदक ने फिर से अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), लखनऊ के समक्ष एक आवेदन दिया। इस आवेदन के साथ उसने दिनांक 30.12.1988 की कथित विक्रय विलेख की प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेज़ पंजीकृत डाक से भेजे। आवेदन में उसने सभी संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया। इस पर, आवेदक का आवेदन प्रारंभिक जांच करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ को भेज दिया गया। उपरोक्त के अनुपालन में, सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ ने दिनांक 22.10.2024 को कथित विक्रय विलेख की एक प्रति के साथ, प्रभारी, अभिलेखपाल, केंद्रीय अभिलेखागार लखनऊ को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या दिनांक 30.12.1988 के कथित विक्रय-विलेख को दिनांक 05.03.1989 को पंजीकृत किया गया

थी और क्या वह आपके कार्यालय से जारी की गई थी या नहीं। यदि वह जारी की गई थी, तो कृपया अपनी रिपोर्ट के साथ उसका विवरण भी उपलब्ध कराएं। दिनांक 22.10.2024 के पत्र के अनुपालन में, प्रभारी, अभिलेखपाल, केंद्रीय अभिलेखागार, लखनऊ ने दिनांक 04.11.2024 को सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ को अपना उत्तर भेजा। इस उत्तर में उन्होंने उल्लेख किया कि उक्त तिथि को, कथित विक्रय-विलेख की कोई भी प्रमाणित प्रति जारी नहीं की गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया है कि कथित विक्रय-विलेख की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई है, तथापि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

7. आगे यह भी कहा गया है कि रेनू रावत ने राम नरेश की ओर से वाद की पैरवी के लिए मुख्तारनामा हासिल कर लिया है और दिनांक 06.02.2024 को उनकी ओर से वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए हैं; और जिसे दिनांक 07.02.2024 को उप-निबंधक (पंचम), लखनऊ के समक्ष पंजीकृत कराया गया था। इसके अलावा, ठीक उसी दिन अर्थात् दिनांक 06.02.2024 को, राम नरेश ने रेनू रावत के पक्ष में एक जाली विक्रय विलेख तैयार किया, जो गांव सरोसा भरोसा में खसरा नंबर 110 पर स्थित 0.5290 हेक्टेयर भूमि से संबंधित था। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर, दिनांक 30.12.1988 के विक्रय विलेख को उप-निबंधक, सरोजिनी नगर, लखनऊ के समक्ष पंजीकृत किया गया; ऐसा करते समय इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि विक्रय-विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति अर्थात् राम नरेश का नाम खतौनी में कभी पंजीकृत था या नहीं। प्रश्न यह उठता है कि आवेदक की

अनुपस्थिति में जो कि विवादित भूमि का मूल स्वामी है और जिसका नाम पहले से ही खतौनी में पंजीकृत है राम नरेश उस भूमि का विक्रय-विलेख रेनू रावत के पक्ष में कैसे निष्पादित कर सकता है?

8. आगे यह भी कहा गया है कि जाली और मनगढ़ंत विक्रय-विलेख के माध्यम आवेदक की भूमि पर कब्ज़ा करने के संबंध में, दिनांक 18.12.2024 को दैनिक समाचार पत्र नव भारत टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा, दिनांक 03.03.2023 को पुलिस स्टेशन काकोरी, लखनऊ में रेनू रावत और उनके पिता जगदीश के विरुद्ध वाद अपराध संख्या 53/2023 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 504 और 506 के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी; इस मामले में जांच पूरी होने के बाद, उनके विरुद्ध (आरोप-पत्र) दाखिल कर दिया गया है। इस्माइल पुत्र दीन मोहम्मद ने भी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है। दिनांक 09.03.2022 को, पुलिस थाना काकोरी, लखनऊ में वाद अपराध संख्या 116/2022 के अंतर्गत, रेनू रावत और दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 388, 504 और 506 के तहत एक मामला पंजीकृत किया गया। इस मामले में यह आरोप लगाया गया है कि रेनू रावत ने शिकायतकर्ता से 'रंगदारी' के रूप में 5,00,000/- रुपये की मांग की थी, और कहा था कि यदि वह उस क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसे यह रकम देनी होगी; अन्यथा, वह उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा बलात्कार के वाद में झूठा फंसा देगी।

9. आवेदक के अधिवक्ता ने विशेष रूप से यह दलील दी है और बताया है कि संलग्नक-13, सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ का दिनांक 22.10.2024 का एक पत्र है, जो प्रभारी, अभिलेखपाल, केंद्रीय अभिलेखागार, पंजीकरण भवन, लखनऊ को संबोधित है। इस पत्र में यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या दिनांक 30.12.1988 के कथित विक्रय विलेख का पंजीकरण कभी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था, और यदि हाँ, तो उससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया जाए। दिनांक 22.10.2024 के उक्त पत्र के अनुपालन में, प्रभारी, अभिलेखपाल केंद्रीय अभिलेखागार, लखनऊ ने सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 30.12.1988 के विक्रय विलेख की छायाप्रति पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। इसमें आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि "सत्यमेव जयते" की मुहर, जो आमतौर पर विक्रय विलेख के पिछले हिस्से पर लगाई जाती है, वह भी इस पर उपस्थित नहीं थी। यह निवेदन किया जाता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि रेनू रावत ने आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से, एक जाली विक्रय विलेख तैयार करके अपराध किया है; यह जाली विलेख कथित तौर पर आवेदक के दादा द्वारा निष्पादित दिखाया गया था। इस अपराध के संबंध में, आवेदक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें रेनू रावत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी। परंतु, संबंधित मजिस्ट्रेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने के बजाय, उस आवेदन को एक परिवाद के रूप में मान लिया; जो कि विधि की दृष्टि से

अवैध है और जिसे अपास्त किया जाना उचित है। अपनी इस दलील के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1073/2026, धर्मेन्द्र कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिनांक 09.02.2026 को निर्णीत;

2. धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 24716/2024, मुकेश खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिनांक 02.09.2024 को निर्णीत;

3. धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 37804/2022, जफर अब्बास जैदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिनांक 25.01.2023 को निर्णीत;

4. धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 44622/2019, राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य दिनांक 09.12.2019 को निर्णीत ।

10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।

11. ऊपर वर्णित सभी तथ्यों पर विचार करते हुए; रेनू रावत की धोखाधड़ी वाली गतिविधि जिसमें उसने संबंधित विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर निर्दोष लोगों की भूमि हड़पने के लिए जाली विक्रय विलेख तैयार किए; जाली विक्रय विलेखों के पंजीकरण

के संबंध में केंद्रीय अभिलेखागार की रिपोर्ट, और साथ ही पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट को देखते हुए यह मामला पुलिस द्वारा गहन जांच और पूछताछ की मांग करता है। इसलिए, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा इस आवेदन को केवल एक परिवाद मान लेना, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः, विवादित आदेशों को अपास्त किया जाना उचित है।

12. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है, और सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 249/2025 (विशाल रावत बनाम रेनू रावत और अन्य) में दिनांक 24.02.2026 को पारित आदेश, तथा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीमा शुल्क), लखनऊ द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 823/2025 में दिनांक 01.04.2025 को पारित आदेश इन दोनों को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त चर्चा की गई टिप्पणियों और तथ्यात्मक पहलुओं के आलोक में इस वाद पर पुनर्विचार करें, और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार एक उचित आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

31 मार्च 2026

राव/-